राजस्व लोक अदालत केम्प बाणियावास तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 67 /2018

वादीगण :— 1 खेमाराम पुत्र किशनाराम मेगवाल निवासी मेघावास

बनाम

प्रतिवादीगण :— 1. रामलाल, नारणाराम पि. पूनमाराम, शिवाराम, वगै0 जाति मेगवाल निवासी बाणियावास, सरंपचक ग्राम पंचायत बाणियावास

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः—25.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजरव लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत बाणियावास में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम मेगावास के खसरा न0 16, 21, 95, 230 मे अपीलाण्ट के खातेदारी हक हिस्सा जरिये पिता के देहान्त के पश्चात नमान्तरकरण संख्या 94 के दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का अशुद्व नाम राणिया पुत्र किशना दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार खेमाराम पुत्र किशनाराम है। अतः अपीलाण्ट का सही नाम खेमाराम पुत्र किशनाराम करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्ररतुत ब्यानकर्ता रामलाल, नारायणराम, रेवतराम, दुर्गाराम व पटवारी बाणियावास/आर.आई वागावास/तहसीलदार पचपदरा व प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, राशकार्ड, परिचय पत्र की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे राणिया पुत्र किशना की जगह खेमाराम पुत्र किशनाराम नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम राणिया पुत्र किशना की जगह खेमाराम पुत्र किशनाराम करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....25/6/18

Scanned by CamScanner